Page No....

FORM-1

0-1.6

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Rudraprayag

No-28

Dated-19-02-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.400 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Provincial Division P.W.D. Rudraprayag (name of user agency) for Construction of Paiyatal-Tyunkhar-Chirbatiya (Lasya) Motor Road under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Dhanauli, Tyunkhar, Paiyatal, Launga, Gharara village (s) in Jakholi tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure ... - NA -

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve regnised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

क अध्यायाय

लिला सावधार

6

Page No. $\mathcal{L}(A)$ ANNEXURE....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S deputy commissioner Rudraprayag on date 19-02-2015 at time 1:00P.M. at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 1.400 hect for the Construction of Paiyatal-Tyunkhar-Chirbatiya (Lasya) Motor Road (2.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Rudraprayag Dated: 19.02-2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Commissioner

क्षामान

परियोजना का नाम :- प्रमाताल के हा ने लि (ल्म्बर)- निर्वाटमा मीय मार्ज के निर्माण हेतु लो निर्वाद की वनमूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ला - 2.00 स

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — पूर्व (तहसील ज्येती — जिला क्र-५-५ जाग अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला सुद्धमाञ्च उत्तराखण्ड में जिल्मोर्क अन्तराज प्रयासका रमुख्य-सिर्धार माना ब्लार्स परियोजना के निर्माण हेतु

हैं0 आरक्षित वन भूमि, १४००— हे0 सिविल सोयम भूमि १००० है0, वन पंचायत भूमि १००० है0) अर्थात कुल १०४० है0 वन भूमि का लिए निव्योग निव्या विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ट्रेंट्र —— द्वारा दिनांक 20 वा 20 इकी सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा महीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ल्यूबर (धने को ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर काई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / – ह0 / – ग्राम सचिव ग्राम प्रधान नोट:– * यदि किसी आदिवासी अथवा वृनवासी की निजी भूमि प्रभावित को रही है, नौ

तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलान कि

ज्येक उप-ब्रिज क्षेत्र पंचायतः विकास साण्ड- जस्रोली जनपद-रुद्रप्रयाम

प्रपत्र-23.1

दिनांक 10/01/15 को ग्राम संभा की सम्पन्न रीठक की उपस्थिति।

	751
	ग्राप सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम
क्रमांक	भ्राम सभा में उपस्थित पारिक की बाद (शिंह खरोना)
01	- TOTA - 1501
02	100 get of 1001
03	" But the gows
04	
05	
06	" THE GOW! WONES
07	11 राजेडा सिंह पुरोक्स स्टिंगी 11 राजिडी सिंह
08	11 Stas Price
10909	
10	" रधुकी सिंह पुंबर (पूर्व श्वेश प्रचायल) हाला वि
111	11 Gar THE GAR CA
12	्। विक्रम् मेस्ट राष्ट्रा
13	11 रिका निहं प्रवाद (क्रिमान क्रिका प्रवादाका) Dominat
14	ATSO TELE
15	11 विक्रम लाल (वलमा) महामु ट्रमुटबर) 11 विक्रम लाल (वलमा) महामु ट्रमुटबर) कि
16	1 A 18 212 340 CA
17	a many THE
	नाम प्राप्त है। जिस्से के विश्व के विश्

Ao do delial

finding of the particular of the state of th

УЧЯ-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंयाताल-त्युंखर-चिरबटिया- लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेत् लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.00 किमी0।

कार्यालय उप जिलाधिकारी. :- जखोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंयाताल-त्युंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतू लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.00 किमी0 हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हरतान्तरण प्रस्ताव (1.400 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.400 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक 31/01/15 — को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण —

अनुसचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लादगीराज नीहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में

आयोजित की गुरी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री चत्र सह चौहान उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अध्यक्ष

2— श्री अजुर शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग, सदस्य 3— श्री स्पर्वे रिपर्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रूद्रप्रयाग, सदस्य / सचिव

4- श्री - प्राप्त प्रमार-बी०डी०सी० क्षेत्र प्राप्त

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंयाताल-त्यंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेत् लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.00 किमी0 परियोजना हेत्. 1.40 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत् प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तृत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापित जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापित

जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यम्नि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंयाताल-त्यूंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेत् लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.00 किमी0, परियोजना के निर्माण हेतु 100 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोवता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्य उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जखाल! तहसील-

ज्येष्ठ उप-प्रमुख क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड- जखोली जलपद-रुद्रप्रयाम सहायक समाज

विकास खण्ड जखाली जनपट रूदपराग